नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा

लव-कुश नगर, मूंदी रोड़, खण्डवा (म.प्र.), दूरभाष-0733-2245000, Fax-0733-2245001
Email: deangmckhandwa@gmail.com, Website: www.gmckhandwa.org

क्रमांक 3277/छात्र शाखा/नं.कु.सि.चौ.शा.चि.महा/2025 खण्डवा, दिनांक :– 23/04/2025

//विज्ञप्ति//

नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा में, संचालक चिकित्सा शिक्षा का पत्र क्रमांक 1200–02/स्था/राज/2021 भोपाल दिनांक 24/12/2021 एवं एन.एम.सी. द्वारा दिनांक 14/02/2022 को जारी नियमावली के अनुसार निर्धारित चयन प्रक्रिया के आधार पर 100 एम.बी.बी.एस. प्रवेश हेतु एन.एम.सी. के मापदण्ड अनुसार सीनियर रेसिडेन्ट के निम्नांकित रिक्त पदों पर सीमित पदावधि **(Tenure)** से पदों की पूर्ति हेतु आवेदन निर्धारित प्रारूप में आमंत्रित किये जाते हैं :–

सीनियर रेसीडेन्ट (निश्चित वेतन रु.88,210/–प्रतिमाह)

S.No	SUBJECT	VACANT POST	UNRESERVED (UR)	SCHEDULE TRIBE (ST)	SCHEDULE CASTE (SC)	OTHER BACKWARD CASTE (OBC)
1	MICROBIOLOGY*	01	01	00	00	00
2	GENERAL MEDICINE	03	01	00	02	00
3	OPHTHALMOLOGY	01	00	01	00	00
4	RADIODIAGNOSIS	02	01	01	00	00
5	ANESTHESIOLOGY	03	01	01	00	01
	TOTAL	10	04	03	02	01

* Must be MBBS+ MD Microbiology

(डॉ.संजय कुमार दादु),
अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
नं.कु.सि.चौ.शा.चि.महा, खण्डवा (म.प्र.)

Stu. Sec. /c;/jr sr recruitment/vigyapti all

नोटः— आवेदन हेतु शैक्षणिक योग्यता आदि की जानकारी एवं विस्तृत विवरण संस्था की वेबसाइट **www.gmckhandwa.org** से प्राप्त की जा सकती है। रिक्त पदों की पूर्ति हेतु इंटरव्यू प्रति गुरूवार को आयोजित किये जावेगें, जिसमें प्रातः 11.00 बजे के पूर्व तक नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा के कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करावे तथा आवेदन पत्र जमा करें। प्रमाण पत्रों की स्क्रूटनी का कार्य तथा उसी दिन साक्षात्कार आयोजित किये जाएगें। साक्षात्कार हेतु आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण पत्रों की मूल प्रति तथा अभिप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा। इस हेतु पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी। सीनियर रेसीडेन्ट्स की बॉण्ड सेवा अवधि शासन के जारी निर्देशानुसार रहेगी।

इंटरव्यू हेतु नियम एवं शर्तें

नोटः—

1. आरक्षण शासन द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार।
2. आवश्यकतानुसार पदों की रिक्तियों की संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है।
3. रिक्त पदों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत पद आरक्षित है।
4. सीनियर रेसीडेन्ट हेतु अगर आरक्षित वर्ग के चिकित्सक नहीं मिलते है तो उस स्थिति में सीटें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित श्रेणी के क्रम से उपलब्ध कर चिकित्सकों से भरी जावेगी। उक्त परिस्थिती में रिक्तियों की कैटेगिरी में परिवर्तन किया जा सकता है।
5. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से अभ्यर्थी साक्षात्कार का पात्र नहीं हो जाता।
6. उक्त सीटों में परिवर्तन किया जा सकता है।

शर्तेः— यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी :—

1. अवधिः— सीनियर रेसीडेन्ट्स की सेवा—अवधि **(Tenure)** 01 वर्ष हेतु नियुक्ति की जावेगी।
2. नियुक्ति का तरीकाः— योग्य अभ्यर्थियों का चयन एम.बी.बी.एस/एम.डी./एम.एस. सभी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी परीक्षाओं के अंकों एवं साक्षात्कार उपरांत किया जावेगा। नियुक्ति चयन समिति की अनुशंसा पर नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा की जावेगी तथा अधिष्ठाता नं.सिं.चौ.शा.चि.म. खण्डवा का निर्णय अंतिम एवं मान्य रहेगा।
3. शैक्षणिक योग्यताः— सीनियर रेसीडेन्ट के लिये संबंधित विषय में एम.सी.आई/डी.सी.आई द्वारा मान्यता प्राप्त एम.बी.बी.एस., एम.डी./एम.एस./डीएनबी परीक्षा उत्तीर्ण किया है वे ही इस पद के लिये पात्र होंगे। सीनियर रेसीडेन्ट पद पर नियुक्त किसी भी चिकित्सक को निजी प्रेक्टिस की पात्रता नहीं होगी।
4. चयन हेतु प्राथमिकता का कम निम्नानुसार होगा— शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा के बोंडेड रेसिडेंट्स, प्रदेश के अन्य शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के बोंडेड रेसिडेंट्स, प्रदेश के अन्य निजी चिकित्सा महाविद्यालय के बोंडेड रेसिडेंट्स, विभागाध्यक्षों की अनुशंसा पर पूर्व से कार्यरत् रेसिडेंट्स, तत्पश्चात् अन्य नॉन—बोंडेड रेसिडेंट्स का प्राथमिकता क्रम भी बोंडेड रेसिडेंट्स कमानुसार ही होगा।
5. संस्था द्वारा कदाचार के कारण पूर्व में सेवा में समाप्त उम्मीदवार को आवेदन करने की पात्रता नहीं होगी।
6. यात्रा भत्ताः— साक्षात्कार के लिये किसी भी अभ्यार्थी को यात्रा भत्ता नहीं दिया जावेगा।

अन्य शर्तें:—

1. इन चिकित्सकों को प्रत्येक 01 वर्ष में 12 दिवस के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी तथा सप्ताह में एक दिन अवकाश की पात्रता होगी यह अवकाश संचित नहीं किया जा सकेगा, पर इन रेसीडेंट्स से संबंधित सभी बातों पर अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम होगा।
2. आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को तत्संबंध का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी म.प्र. द्वारा प्रदत्त की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3. म.प्र. के मूल निवासी को ही आरक्षण का लाभ दिया जावेगा।
4. उम्मीद्वार को शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगी।
5. सेवा की अन्य शर्तें नियुक्ति पत्र में दर्शाये अनुसार बंधनकारी होगी।
6. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के साथ ही जिस संस्था में कार्यरत् हैं उस संस्था का अनापत्ति/त्यागपत्र स्वीकृति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. उम्मीद्वार को म.प्र. राज्य मेडिकल कौंसिल अथवा मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।
8. सीनियर रेसीडेन्ट के पद पर चयनित उम्मीद्वार को आवश्यकतानुसार अन्य स्थान पर कार्य करने हेतु आदेशित किया जा सकता है।
9. साक्षात्कार में सम्मिलित होने वाले चिकित्सकों को स्क्रूटनी समिति के समक्ष यह शपथ पत्र देना होगा कि उनका नाम पी.एम.टी./पी.जी. फर्जीवाड़े की सूची में नहीं है उवं उनके विरूद्ध कोई भी प्रकरण पुलिस में दर्ज नहीं है।
10. सीनियर रेसीडेन्ट हेतु अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष रहेगी ।
11. साक्षात्कार के समय उपरोक्त समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियॉ प्रस्तुत करनी होगी।
12. 08 दिवस से ज्यादा अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहते है तो आपको सेवा से कार्य मुक्त किया जायेगा।

23/04/25

(डॉ.संजय कुमार दादु),
अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
नं.कु.सि.चौ.शा.चि.महा, खण्डवा (म.प्र.)

Stu. Sec. /c;/jr sr recruitment/vigyapti all